6 2/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी दुनाब/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 5/4/24 को पेश हो।

5 4/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी दुनाब/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 26/5/24 को पेश हो।

28 5/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी दुनाब/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 12/7/24 को पेश हो।

12 7/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी दुनाब/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 4/9/24 को पेश हो।

4 9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 व 7 ता 8 की फर्दियां विपक्षिय तामील के एक माह पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया की विवादित कृषिभूमि खसरा नम्बर 1622, 1623 व 1624 कुल क्षेत्रफल 3 हल रकबा 4.24 हे० वाके ग्राम बालाजी का नाता पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का 3/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का 3/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 2/8 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड व इमाबंदी अनुसार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने इस हिस्से पर काबिज काश्तकार व खातेदार है। लेकिन उपरोक्त भूमियों का वर्षों से विदसरका बटवारा नहीं हुआ है। इमाबंदी में पक्षकारों के संयुक्त रूप से ही हिस्से अंकित किये है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमियों पर काफी जेहमत कर सुधार किया है व अपने हिस्से में मकान बनाकर निवास कर रहे है। अप्रार्थीगण कुछ अज्ञात व्यक्तियों से साजिश करके के व्यक्तियों को अपने साथ लेकर और धमकियां देकर कि कृषि भूमि को सब्जबागों को बेचान, हस्तांतरण, रजिस्ट्री करवायेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार इस दृष्टि से मामला। इस

4/61.24

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
राकेश कुमार बनाम मनोज कुमार वगैरह
वाद पत्र 73/2022

प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ़ है और सुविधा का संतुलन भी इस प्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रार्थनीय है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने कोई हक व हिस्सा तय नहीं कर रखा है। मौके पर पक्षकारान अपनी सुविधा व आवश्यकतानुसार मकान बना रखे है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ़ नहीं है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही है इसलिए आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act तथा हर्जा खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका बाकायदा व बाउण्ड्री विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए उभय दृष्टिकोण से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ़ है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। इसलिए न्यायालय आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1622, 1623 व 1624 वाके ग्राम बालाजी का नाता पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर के उभयपक्षकारान का बेचान नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 4/9/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर